(1)

फार्म – ए

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश अन्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बक्सर

(पीठासीन पदाधिकारी–उदय प्रताप सिंह)

निर्णय का दिनांक : 16.04.2026

एस0सी0/एस0टी0 संख्या 26/2024, सी0आई0एस0 नं0–24/2017

डुमरॉव थाना कांड संख्या–57/2024, अंतर्गत धारा–279, 304(ए) भा0द0सं0 3(1)(r)(s), 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम।

सूचक	सतीष कुमार पासवान पिता स्वा0 नगेश्वर पासवान सा0–अटॉव, थाना–डुमरॉव, जिला–बक्सर।
अभियोजन की तरफ से	श्री गोपाल जी शर्मा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्त	गोबर्धन यादव पिता गोपाल यादव सा0– अटॉव, थाना–डुमरॉव, जिला–बक्सर।
बचाव पक्ष की तरफ से	श्री दिनेश प्रसाद सिंह, विद्वान अधिवक्ता (अभियुक्त की ओर से)

फार्म – बी

घटना की तारीख	23.02.2024
प्राथमिकी की तिथि	23.02.2024
आरोप पत्र समर्पित किये जाने की तिथि	11.04.2024
संज्ञान की तिथि	08.07.2024
आरोप गठित किये जाने की तिथि	23.12.2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	18.02.2025
निर्णय में नियत किये जाने की तिथि	16.04.2026
निर्णय की तिथि	16.04.2026
दण्ड आदेश पारित किये जाने की तिथि	N.A.

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की संख्या	01
अभियुक्तगण का नाम	गोबर्धन यादव।
गिरफ्तारी की तिथि	अभियुक्त दिनांक 11.03.2024 को न्यायालय में

	आत्मसमर्पण किया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि/ न्यायिक अभिरक्षा में है।	अभियुक्त दिनांक 11.03.2024 से ही न्यायिक अभिरक्षा में है।
आरोपित धारा	अभियुक्त पर धारा–304(A), 279, 504, 506 भा0द0सं0 एवं 3(1)(r)(s), 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम।
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष–सिद्ध किया गया है	**दोषमुक्त**
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	N.A.

फार्म – सी
<u>अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय साक्षीगण की सूची</u>

<u>(क) अभियोजन :</u>

क्रमांक	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य / पुलिस साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी / मेडिकल साक्षी / पंच साक्षी / अन्य साक्षी**
अभियोजन साक्षी संख्या–01	शैलेन्द्र कुमार राम	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–02	रंजन पासवान	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–03	मनेन्द्र पासवान	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–04	सोनू कुमार	प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य
अभियोजन साक्षी संख्या–05	रवि कुमार पासवान	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–06	गोरख पासवान उर्फ गोरख राम	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–07	जितेन्द्र पासवान	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–08	विनोद कुमार राम	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–09	रूपेश कुमार	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–10	सतीश कुमार	इस केस का सूचक है
अभियोजन साक्षी संख्या–11	प्रमोद कुमार पासवान	अनुसंधानकर्ता
अभियोजन साक्षी संख्या–12	डॉ अनिल कुमार सिंह	मेडिकल साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–13	भोला चौधरी	अन्य साक्षी

(ख) बचाव पक्ष साक्षी :

क्रमांक	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य / पुलिस साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी / मेडिकल साक्षी / पंच साक्षी / अन्य साक्षी**

NIL	NIL	NIL

(ग) न्यायालय साक्षी :

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य / पुलिस साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी / मेडिकल साक्षी / पंच साक्षी / अन्य साक्षी
NIL	NIL	NIL

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय प्रदर्श की सूची

(क) अभियोजन : प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श–पी0–1 / पी0डब्लू–01	लिखित आवेदन पर इस साक्षी का हस्ताक्षर।
02	प्रदर्श–पी0–1 / पी0डब्लू–04	लिखित आवेदन पर इस साक्षी का हस्ताक्षर।
03	प्रदर्श–पी0–1 / 1 पी0डब्लू–05	लिखित आवेदन पर इस साक्षी का हस्ताक्षर।
04	प्रदर्श–पी0–2 / पी0डब्लू–07	लिखित आवेदन पर इस साक्षी का हस्ताक्षर।
05	प्रदर्श–पी0–3 / पी0डब्लू–10	लिखित आवेदन पर इस सूचक का हस्ताक्षर।
06	प्रदर्श–पी0–4 / पी0डब्लू–10	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की अभिप्रमाणित प्रति।
07	प्रदर्श–पी0–5 / पी0डब्लू–11	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की अभिप्रमाणित प्रति जो इन्द्रदेव सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है जिसे इस यह साक्षी पहचानता है।
08	प्रदर्श–पी0–6 / पी0डब्लू–11	जप्ती सूची पर का हस्ताक्षर।
09	प्रदर्श–पी0–7 / पी0डब्लू–11	औपचारिक प्राथमिकी।
10	प्रदर्श–पी0–8 / पी0डब्लू–11	आरोप पत्र।
11	प्रदर्श–पी0–9 / पी0डब्लू–12	पोस्टमार्टम रिपोर्ट।

(ख) बचाव पक्ष :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

(ग) न्यायालय प्रदर्श :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

NIL	NIL	NIL

(घ) वस्तु प्रदर्श :

क्रमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
NIL	NIL	NIL

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत मामले में एक मात्र अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता–1860 की धारा– 304(A), 279, 504, 506 भा0द0सं0 एवं 3(1)(r)(s), 3(2)(va) एस0सी0 / एस0टी0 अधिनियम से आरोपित किया गया है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक सतीष कुमार पासवान पिता स्वा0 नगेशवर पासवान, ग्राम अटॉव, थाना डुमरॉव, जिला बक्सर के द्वारा डुमारॉव थाना प्रभारी के समक्ष इस आशय का आवेदन दिया कि दिनांक 23.02.2024 को समय करीब 8:00 बजे से 9:00 बजे लगभग उसका पुत्र चितरंजन कुमार अटॉव हाई स्कूल के ग्राउड में क्रिकेट खेलने गया था कि एक पिकअप चला रहा था जिसका नाम गोवर्धन यादव पिता गोपाल यादव है जिसका पिकअप गाड़ी न0 WB-11-F-3724 है जिससे उसका पुत्र को जानबुझकर गाड़ी चढ़ा दिया तथा तीन–चार बार आगे पिछे कर के गाड़ी से उसके पुत्र की हत्या कर दिया तथा जो बच्चे उसके साथ में थे वे माना कर रहे है तो वह गाली–गलौज करते हुये दुसाध–चमार बोला और धमकी देते हुये कहा जो कबारना है कबार लेना और ज्यादा बोलोगे तो घर द्वार फुंक देंगे, सबको जिंदा जला देंगे और जबरजस्ती गाड़ी को लेकर चला भाग गया।

3. सूचक के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध डुमरॉव थाना में प्राथमिकी सं0–57 / 2024 दिनांकित 23.02.2024 अंतर्गत धारा– 279, 304(ए) भा0द0सं0 एवं 3(1)(r)(s), 3(2)(va) एस0सी0 / एस0टी0 अधिनियम के तहत दर्ज की गयी और पुलिस द्वारा मामले का अनुसंधान किया गया। मामले का अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र सं0–83 / 2024 दिनांक–11.04.2024 अंतर्गत धारा– 279, 304(ए), 504, 506 भा0द0सं0 एवं 3(1)(r)(s), 3(2)(va) एस0सी0 / एस0टी0 अधिनियम इस न्यायालय के समक्ष समर्पित किया गया। दाखिल किये गये उपरोक्त मूल आरोप पत्र के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2024 के द्वारा उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञान लिया गया।

4. विचारण के क्रम में, अभियुक्त के विरुद्ध दाखिल किए गए उपरोक्त आरोप पत्र एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर भा0द0सं0 की धारा–304(A), 279, 504, 506 भा0द0सं0 एवं 3(1)(r)(s), 3(2)(va) एस0सी0 / एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। विरचित किया गया आरोप न्यायालय द्वारा अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया और न्यायिक विचारण की मांग की।

5. **अभियोजन पक्ष का मौखिक साक्ष्यः–** अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षियों की परीक्षा की गयीः–

- अभियोजन साक्षी संख्या–01, शैलेन्द्र कुमार राम

- अभियोजन साक्षी संख्या–02, रंजन पासवान
- अभियोजन साक्षी संख्या–03, मनेन्द्र पासवान
- अभियोजन साक्षी संख्या–04, सोनू कुमार
- अभियोजन साक्षी संख्या–05, रवि कुमार पासवान
- अभियोजन साक्षी संख्या–06, गोरख पासवान उर्फ गोरख राम
- अभियोजन साक्षी संख्या–07, जितेन्द्र पासवान
- अभियोजन साक्षी संख्या–08, विनोद कुमार राम
- अभियोजन साक्षी संख्या–09, रूपेश कुमार
- अभियोजन साक्षी संख्या–10, सतीश कुमार
- अभियोजन साक्षी संख्या–11, प्रमोद कुमार पासवान
- अभियोजन साक्षी संख्या–12, डॉ अनिल कुमार सिंह
- अभियोजन साक्षी संख्या–13, भोला चौधरी

6. अभियोजन पक्ष का दस्तावेजी साक्ष्यः– अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेज को साबित करा कर प्रदर्श अंकित कराया गया है।

- प्रदर्श–पी0–1/पी0डब्लू–01 : लिखित आवेदन पर इस साक्षी का हस्ताक्षर।
- प्रदर्श–पी0–1/पी0डब्लू–04 : लिखित आवेदन पर इस साक्षी का हस्ताक्षर।
- प्रदर्श–पी0–1/1 पी0डब्लू–05 : लिखित आवेदन पर इस साक्षी का हस्ताक्षर।
- प्रदर्श–पी0–2/पी0डब्लू–07 : लिखित आवेदन पर इस साक्षी का हस्ताक्षर।
- प्रदर्श–पी0–3/पी0डब्लू–10 : लिखित आवेदन पर इस सूचक का हस्ताक्षर।
- प्रदर्श–पी0–4/पी0डब्लू–10 : मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की अभिप्रमाणित प्रति।
- प्रदर्श–पी0–5/पी0डब्लू–11 : मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की अभिप्रमाणित प्रति जो इन्द्रदेव सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है जिसे इस यह साक्षी पहचानता है।
- प्रदर्श–पी0–6/पी0डब्लू–11 : जप्ती सूची पर का हस्ताक्षर।
- प्रदर्श–पी0–7/पी0डब्लू–11 : औपचारिक प्राथमिकी।
- प्रदर्श–पी0–8/पी0डब्लू–11 : आरोप पत्र।
- प्रदर्श–पी0–9/पी0डब्लू–12 : पोस्टमार्टम रिपोर्ट।

7. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य– इस वाद में बचाव पक्ष द्वारा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. अभियुक्त की परीक्षा अर्न्तगत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता– अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत न्यायालय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. की गयी, जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्त को विस्तारपूर्वक बताया गया कि इस वाद में उनके विरुद्ध कौन–कौन से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और इस विषय में अभियुक्त क्या कहना चाहतें हैं ? अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इस वाद मे उस पर लगाये गये सभी आरोप गलत है, साक्षियों ने झुठी गवाही दी है, अभियुक्त के विरूद्ध झूठा केस दर्ज कराया गया है और वह निर्दोष है, लेकिन झूठा केस दर्ज कराये जाने के कारणों के संबंध में कोई स्पष्टिकरण अभियुक्त द्वारा नही दिया गया है।

9. **पक्षकारों की बहस/तर्क :–** अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री गोपाल जी शर्मा ने वाद की संपूर्ण घटना का विस्तारपूर्वक उल्लेख करते हुए बताया है कि इस वाद में अभियुक्त के द्वारा सूचक के पुत्र पर जानबुझकर गाड़ी चढ़ा दिया तथा तीन–चार बार आगे पिछे कर के गाड़ी से उसकीहत्या कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल तेरह साक्षियों की परीक्षा कराई गई है तथा दस्तावेजों को भी प्रदर्श के रूप मे अभिलेख पर साबित करायें गयें है। जिससे अभियुक्त के द्वारा बिना किसी संदेह के अपराध का किया जाना साबित होता है। उनका यह भी कहना है कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों मे थोड़ा–बहुत विरोधाभास होना स्वाभाविक है क्योंकि घटना के लम्बे अंतराल के उपरान्त न्यायालय के समक्ष उनकी परीक्षा की गई है।

10. दूसरी ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश प्रसाद सिंह का कहना है इस मामले में अभियुक्त निर्दोष हैं और गलत तथ्यों के आधार पर पुलिस प्रशासन के साथ मिलीभगत करके सूचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा बनवाया गया है। उनका यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन की घटना का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला सभी शंकाओं से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त दोषमुक्ति के हकदार हैं। संक्षिप्तता के दृष्टिकोण से पक्षकारों की बहस एवं तर्को का विस्तापूर्वक उल्लेख यहां पर नहीं किया गया है, इनका उल्लेख साक्ष्य की विवेचना के साथ किया जाएगा।

11. **वाद में अवधारण के बिंदुः–** इस वाद के निस्तारण के लिए अवधारण के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैंः–

(ए) क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सभी शंकाओं से परे साबित करने में सफल रहा है ?

(बी) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से क्या इस मामले में अभियुक्त द्वारा किसी अन्य अपराध का किया जाना साबित होता है ?

(सी) दोषसिद्धी एवं दंडादेश, यदि कोई हो ।

अभियोजन साक्ष्य का सारांश

12. अभियोजन द्वारा अपना मामला साबित करने के लिए कुल तेहर साक्षियों की परीक्षा करायी गयी है। इनमें से **अभियोजन साक्षी सं0–1** शैलेन्द्र कुमार राम है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि घटना वर्ष 2024 की है। सुबह 8–9 बजे की घटना हैं, मैं उस समय अटांव हाई स्कूल के फिल्ड के पास में फिल्ड से बाहर क्रिकेट देख रहा था। चितरंजन राम का लड़का क्रिकेट खेल रहा था, वहॉ पर पिकअप भान लेकर गोबरधन यादव फिल्ड में आया और चितरंजन को धक्का मारा तथा तीन–चार बार आगे–पीछे करके गाड़ी को चितरंजन पर चढ़ाया एवं उसे मार दिया। फिल्ड में जो लोग क्रिकेट देख रहें थे उन सभी लोगों को गोबरधान चमार सियार कह कर गाली दे रहें थे तथा जान मारने की धमकी दे रहें थे। उसके बाद गोबरधन गाली देते हुयें गाड़ी लेकर भाग गया। उसके बाद हम सभी लोग डुमरांव थाना गयें। सतीश कुमार पासवान अपना लिखित आवेदन घटना के संबंध में थाना पर दियें। लिखित आवेदन पर मैंने अपना हस्ताक्षर बनाया हैं। अभिलेख पर मैंने मूल आवेदन देख ली हैं तथा इस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पहचान करता हुं। साक्षी के पहचान पर लिखित आवेदन

को **प्रदर्श–पी0–01 / पी0डब्लू0–01** अंकित किया गया है। लिखित आवेदन पर गवाह के रूप में और भी 8–9 आदमी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के बारे मुझसे पूछताछ किया था। वी0सी0 के माध्यम से अभियुक्त की पहचान कराई गई, साक्षी ने अभियुक्त की सही–सही पहचान की हैं। मैं दुसाध जाति का हुॅ तथा मृतक भी दुसाध जाति का ही था। गोबरधन यादव अहिर जाति के हैं।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि यह मुकदमा सतीश पासवान के द्वारा किया गया हैं। सतीश पासवान गांव–घर के भाई लगते हैं। सतीश पासवान ने यह मुकदमा सुलह कर लिया है। घटना के समय मैं घटनास्थल पर नहीं था। मैंने अपनी आंखों से बच्चे को कुचलते नहीं देखा तथा गाड़ी कौन चला रहा था यह भी नहीं देखा। लिखित आवेदन में क्या लिखा था यह मुझे पढ़ कर नहीं सुनाया गया था और न ही मुझे लिखित आवेदन पढ़ने का मौका मिला। किसी भी कागजात पर आज से पहले मैंने कोई हस्ताक्षर नहीं किया था। जो पिकअप थाने द्वारा जब्त की गई है वह गाड़ी गोबरधन नहीं चलाते हैं। सतीश पासवान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं हैं। नोटिस पर गवाही देने आया हुॅ। पुलिस ने इससे पहले मुझसे कहीं पूछताछ नहीं किया था। इस घटना के बारे में पहले से मुझे कोई जानकारी नहीं हैं।

13. **अभियोजन साक्षी सं0–2** रंजन पासवान है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि घ टना वर्ष 2024 की है । आठ–नौ बजे दिन की घटना है। उस समय मैं अटॉव हाई स्कूल के फिल्ड में था। चितरंजन कुमार का अटॉव हाई स्कूल के फिल्ड में ऐक्सीडेंट हुआ था। पीकअप गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। मैंने ऐक्सीडेंट होते देखा नहीं हूॅ। मैंने पुलिस को बयान दिया था कि मैं घटना नहीं देखा हूॅ। विद्वान अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उन्हें जिरह का अवसर प्रदान किया गया। ऐसी बात नही है कि पुलिस के समक्ष मैंने यह बयान दिया था कि बोलेरों पीकअप रजिस्ट्रेशन न0 बी 11 एफ 3724 को चलाकर गोबर्धन यादव तेजी और लापरवाही से चितरंजन कुमार को धक्का मारकर शरीर पर पीकअप कई बार चढ़ा दिया जिससे चितरंजन कुमार की मृत्यु हो गई। ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्तों के मेल में आकर सच बात छिपा रहा हूॅ। मैं गोबर्धन यादव को पहचानता हूॅ।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि चितरंजन की मृत्यु किसके गाड़ी से हुई और कौन गाड़ी चला रहा था, उसे जानकारी नहीं है। घटना के समय यह साक्षी घटना स्थल पर नहीं था। पुलिस के यहॉ इस घटना के संबंध में उससे कोई पूछताछ नहीं हुई थी। चितरंजन उसके गॉव का था इसीलिये पहचानता था। जिस गाड़ी से ऐक्सीडेंट हुआ वह किसके नाम से था और किसका था उसे जानकारी नहीं था और घ टना के दिन कौन गाड़ी चला रहा था उसे यह भी जानकारी नहीं था।

14. **अभियोजन साक्षी सं0–3** मनेन्द्र कुमार पासवान है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि घटना 23.02.2024 की है। समय सुबह के 8–9 बज रहें थे। मैं उस समय अपने घर पर था। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नही हुआ था। मुझे घर पर पता चला कि गोबरधन यादव अपना पिकअप भान नदांव हाई स्कूल के मैदान में चला रहें थे। चितरंजन कुमार वहीं मैदान

में क्रिकेट खेल रहा था उसी के उपर पिकअप भान चढ़ गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गोबरधन यादव को मैं नहीं पहचानता हुॅ देखेगें तो पहचानेगें।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि मैंने पिकअप से दुघ्टना होते हुयें अपनी आंखों से नहीं देखा है। मैंने केवल सुना था लेकिन घटना के दिन पिकअप कौन चला रहा था मैं यह भी नहीं बता सकता हुॅ। मुझे इस बात की जानकारी नहीं हैं कि गोबरधन के पास पिकअप गाड़ी हैं या नहीं। कौन कौन बच्चा मैदान में क्रिकेट खेल रहा था मैं यह भी नहीं बता सकता हुॅ। इस घटना के संबंध में मैंने पुलिस के समक्ष बयान नहीं दिया है। घटना की जानकारी मुझे किसने दी मैं यह भी नहीं बता सकता हुॅ। सतीश कुमार पासवान से मुझे कोई अदावत नहीं है। नोटिस पर गवाही देने आया हुॅ।

15. **अभियोजन साक्षी सं0–4** सोनू कुमार है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि घटना दिनांक 23.02.2024 की है। समय 08:00 से 09:00 बजे सुबह के बीच की घटना है। घटना के समय मिडिल स्कुल अटाओ के फिल्ड में था। फिल्ड में ही पिकअप गाड़ी से चितरंजन कुमार का दुर्घटना हो गया, जिसके कारण चितरंजन कुमार का घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गया। लिखित आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है। साक्षी अपने हस्ताक्षर को देख कर पहचानता है। साक्षी के प्रदर्श को 1 अंकित किया जाता है।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि घटना के दिन और घ्टना के समय मैं अपने घर पर था। किसका गाड़ी था और कौन सिख रहा था मैं नहीं जानता हूॅ। इस घटना के संबंध में कैसे घटना हुआ किसी भी माध्यम से मुझे जानकारी नहीं है। इस घटना के संबंध में पुलिस के यहां मेरा कोई बयान नही हुआ है। घटना के दिन फिल्ड में कौन कौन बच्चा क्रिकेट खेल रहा था। इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। सतीश कुमार पासवान जो केस किये है उनसे मुझे कोई अदावत नहीं है। जिस कागज पर मैंने हस्ताक्षर किया वो कागज सादा था उस पर कुछ नहीं लिखा था। आज न्यायालय में नोटिस पर गवाही करने आया हूॅ।

16. **अभियोजन साक्षी सं0–5** रवि कुमार पासवान है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि घटना के दिन लिखित आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है। मैं अपने हस्ताक्षर को पहचानता हूॅ। जिसे प्रदर्श P1/1/PW-5 अंकित किया जाता है। घटना दिनांक 23.02.2024 का है समय करीब सुबह 08:00 से 09:00 बजे मैं अपने रिश्तेदार मामा के यहॉ था। उस समय मैं ब्रश कर रहा था तो सुना कि कटाव हाई स्कूल के फील्ड में पिकअप गाड़ी से एक लड़का का दुघ्टना हो गया। मैं उस लड़के का नाम नहीं जानता हूॅ। मैं किसी को नहीं पहचानता हूॅ।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि जिस पिकअप गाड़ी से दुर्घटना हुआ था मैं उस पिकअप गाड़ी को नही जानता हूॅ। उस पिकअप गाड़ी का कौन चला रहा था मैं नही बता सकता। इस केस के सूचक से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। दारोगा जी ने मुझसे जिस कागजात पर हस्ताक्षर कराया वो सादा कागज था। पुलिस के यहॉ मेरा कोई बयान नहीं हुआ है। नोटिस पर आज न्यायालय में गवाही करने आया हूॅ।

17. **अभियोजन साक्षी सं0–6** गोरख पासवान उर्फ गोरख राम है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि घटना एक साल पूर्व की है। समय सुबह के 8–9 बज रहें थे। मैं उस समय

अपने गांव में काम कर रहा था। सुना कि अटांव हाई स्कूल के मैदान में लड़के किक्रेट खेल रहें थे उसी समय चितरंजन कुमार का पिकअप गाड़ी से दुर्घटना हो गई है। चितरंजन कुमार की मृत्यु हो चुकी है। पिकअप का चालक को मैं नहीं जान रहा हूँ। मैं चालक को नहीं पहचानता हुँ।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि इस केस के सूचक सतीश कुमार पासवान मोहल्ला के नाती लगते है। सतीश कुमार पासवान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। इस घटना के बारे में मुझे किसी माध्यम से जानकारी नहीं है। पिकअप गाड़ी किसकी थी यह भी मैं नहीं बता सकता हुँ। नोटिस पर आज गवाही देने आया हुँ। पुलिस के समक्ष भी मेरा कोई बयान नहीं हुआ था।

18. **अभियोजन साक्षी सं0–7** जितेन्द्र पासवान है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि घ टना कब की हैं मुझे याद नहीं हैं। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। विद्वान अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उन्हें जिरह का अवसर प्रदान किया गया। ऐसी बात नही है कि पुलिस के समक्ष मैंने यह बयान दिया था कि दिनांक 23.02.2024 को 08–09 बजे सुबह में अटांव हाई स्कूल ग्राउन्ड में वादी का लड़का चितरंजन कुमार क्रिकेट खेलने गया था जहॉ पर पिकअप गाड़ी के चालक गोवर्धन यादव के द्वारा गाड़ी को तीन चार बार आगे पीछे करके पिकअप भान से चितरंजन की हत्या कर दी, जिसकी लिखित सूचना वादी के द्वारा डुमरांव थाना में दिया गया। लिखित आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर हैं जिसे मैं पहचानता हुं साक्षी के पहचान पर उनके हस्ताक्षर को **प्रदर्श–पी0–02 / पी0डब्लू0–07** अंकित किया जाता है। ऐसी बात नही है कि अभियुक्त के मेल में आकर सच बात छिपा रहा हुँ।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि सतीश कुमार पासवान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। सादा कागज पर मेरा हस्ताक्षर लिया गया था। पिकअप गाड़ी किसकी थी यह भी मैं नहीं बता सकता हुँ।

19. **अभियोजन साक्षी सं0–8** बिनोद कुमार राम है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि घटना 23.02.2024 की है। समय सुबह 07–07:30 बजा था। उस समय मैं अपने घर पर था। घटना के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नही है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। विद्वान अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उन्हें जिरह का अवसर प्रदान किया गया। ऐसी बात नही है कि ''मैं 09 बजे अटांव विद्यायल पहुचा। उस समय घटना घट चुका था। पता चला कि विद्यालय के 09वीं कक्षा का छात्र चितरंजन कुमार को पिकअप से धक्का मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।'' गवाह अभियुक्त को पहचानने से इंकार करता है।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि घटना मैं अपने ऑखो से नही देखा और ना ही किसी भी माध्यम से इस घटना के बारे में मुझे जानकारी हुई। ड्राईवर कौन था और किस गाड़ी से चितरंजन का दुर्घटना हुआ, यह भी मैं नही जानता हूँ। घटना के समय मैं घटनास्थल पर नही था।

20. अभियोजन साक्षी सं0–9 रूपेश कुमार है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि घटना 23.02.2024 की है। समय सुबह 08:00–08:30 बजा था। उस समय मैं अपने घर पर था। उच्च विद्यालय अटॉव के मैदान में एक दो घटना हो गई। विकअप भान से चितरंजन कुमार मेरा फुफेरा भाई का घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। विद्वान अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उन्हें जिरह का अवसर प्रदान किया गया। ऐसी बात नही है कि पुलिस के समक्ष मैंने यह बयान दिया था कि मेरा फुफेरा भाई चितरंजन कुमार क्रिकेट खेल रहा था। उसी समय एक गाड़ी धक्कामार कर चितरंजन कुमार के ऊपर पहला चक्का चढ़ा दिया। जब वह उठना चाहा तो पीछला चक्का भी चढ़ गया। चितरंजन कुमार फिल्डींग कर रहा था। गोवर्धन पिकअप लेकर हाई स्कूल फिल्ड में घुसा दिया। ऐसी बात नहीं है कि गवाह के मेल में आकर झूठी बात छुपा रहा हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि घटना के दिन फिल्ड में कौन कौन किक्रेट खेल रहा था, मुझको जानकारी नहीं है। फिल्ड में पिकअप गाड़ी कौन चला था और किसकी गाड़ी थी मुझको जानकारीन नहीं है। जो यह मुकदमा किया है। मुझे उससे दुश्मनी नहीं है। चितरंजन की मृत्यु कैसे हुई मुझे इसकी जानकारी नहीं है। न्यायालय से नोटिस गया था तो आज गवाही करने आया हूँ।

21. अभियोजन साक्षी सं0–10 सतीश कुमार है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि मुकदमें का मैं सूचक हुं। मैं दुसाद जाति का हुं। घटना 23.02.2024 की है। समय सुबह 08:00–09:00 बजा का था। उस समय मैं अपने घर पर था। मुझे पता चला कि उच्च विद्यालय अटॉव के मैदान में मेरा लड़का चितरंजन कुमार का गाड़ी से हत्या हो गया है। मैं जाकर अपने लड़का चितरंजन कुमार को देखा जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो चुकी थी। पिकअप भान गोर्वधन यादव चला रहें थे जिससे मेरे लड़के की हत्या हुई थी। वहॉ से मैं अपने लड़का को डुमरांव अनुमंडल अस्पताल ले गया। पोस्टमोर्टम बक्सर में हुआ था। इसी घटना के संबंध में मैंने लिखित आवेदन थाना पर दिया था। लिखित आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानता हुं इसे **प्रदर्श–पी0–03/पी0डब्लु0–10** अंकित किया जाता है। मेरे ही सामने थाना के द्वारा मृतक चितरंजन कुमार का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया गया उस मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर भी मैंने अपना हस्ताक्षर बनाया है, यह वहीं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की अभिप्रमाणित प्रति हैं जिसे मैं पहचानता हुं इसे **प्रदर्श–पी0–04/पी0डब्लु0–10** अंकित किया जाता है। मैं अभियुक्त को पहचानता हुं।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि उच्च विद्यालय के मैंदान के पूरब साइड में रोड है गाड़ी आती–जाती हैं। चितरंजन कुमार जो मेरा पुत्र है उसे किस गाड़ी से धक्का लगा और गाड़ी का चालक कौन था मैं नहीं बता सकता हुं चूंकि उस समय मैं अपने घर पर था। मैं जब घटनास्थल पर गया तो मैनें अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा, उस समय वहॉ पर न तो कोई गाड़ी थी और न ही कोई गाड़ी का चालक था। थाना में दिया गया आवेदन किसके द्वारा लिखा गया मुझे जानकारी नहीं है तथा उस आवेदन में क्या लिखा था मुझे किसी ने पढ़ कर नहीं बताया। मैंने घटनास्थल पर कोई हस्ताक्षर नहीं

किया है। मैंने थाना पर अपना हस्ताक्षर किया था जिस कागज पर हस्ताक्षर किया था उस पर लिखा हुआ था लेकिन क्या लिखा हुआ था मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिल्ड के बगल में जो रोड है वह काफी व्यस्त रोड है उस पर कई गाड़िया आती जाती हैं। घटनास्थल पर मेरी किसी से कोई बातचीत या लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। किसी के द्वारा आज तक मुझे यह जानकारी नहीं हुआ कि मेरे पुत्र को किस गाड़ी से धक्का लगा और गाड़ी का चालक कौन था। गोवर्धन यादव मेरे ग्रामीण है इस कारण पहचानता हुॅ। यह कहना गलत हैं कि बॉल खेलने के क्रम में बॉल सड़क पर चली गई और मेरा लड़का वह बॉल लाने गया तथा गाड़ी से धक्का लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

22. **अभियोजन साक्षी सं0–11** प्रमोद कुमार पासवान है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि दिनांक 23.02.2024 को मैं पु0अ0नि0 के पद पर डुमरांव थाना बक्सर में पदस्थापित था। उसी दिन मैनें डुमरांव थाना कांड सं0 57/2024 का अनुसंधानभार ग्रहण किया। प्राथमिकी का अवलोकन कर कांड दैनिकी में अंकित किया। अनुसंधान के क्रम में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अनुमंडलीय अस्पताल डुमरांव में पु0अ0नि0 इन्द्रदेव सिंह के द्वारा तैयार किया गया है जो मुझे प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन कर कांड दैनिकी में अंकित किया। यह वहीं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की अभिप्रमाणित प्रति है जो तत्कालीन पु0अ0नि0 इन्द्रदेव सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हुॅ साक्षी के पहचान पर इसे **प्रदर्श–पी0–05/पी0डब्लु0–11** अंकित किया जाता है। तत्पश्चात् शव को पोस्टमोर्टम के लिए भेजा। उसके बाद घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। इस कांड का घटनास्थल डुमरांव थाना क्षेत्र अर्न्तगत अटांव गांव स्थित महन्त गोर्वधन भारती उच्च विद्यालय के मुख्य द्वार से लगभग 25 मीटर उत्तर–पश्चिम स्थित है। जिसकी दूरी थाना से 12 किलो मीटर दक्षिण–पश्चिम दिशा में हैं। घटनास्थल की चौहददीः– उत्तर में घटनास्थल से लगभग 200 मीटर पर महन्त गोर्वधन भारती उच्च विद्यालय व मध्य विद्यालय का संयुक्त ग्राउन्ड का उत्तरी चारदीवारी दिवाल है, दक्षिण में महन्त गोर्वधन भारती प्लस 2 उच्च विद्यालय का उत्तरी बान्डरी वाल बाद एक मंजिला भवन तथा उसे ठीक पीछे दो मंजिला भवन है, पूरब में महन्त गोर्वधन भारती उच्च विद्यालय व मध्य विद्यालय का संयुक्त ग्राउन्ड बाद करीब 75 मीटर पर दोनों विद्यालयों का बाउन्डरी वाल के ठीक सटे उत्तर तरफ ग्राउन्ड में प्रवेश व निकास करने हेतु मुख्य द्वार है एवं पश्चिम में घटनास्थल से करीबन 50 मीटर की दूरी पर मध्य विद्यालय का पुराना भवन स्थित है। अग्रेतर अनुसंधान के क्रम में साक्षी सोनू कुमार, साक्षी रूपेश कुमार, साक्षी विनोद कुमार राम, साक्षी भोला चौधरी का बयान लेकर कांड दैनिकी में अंकित किया। दिनांक 24.02.2024 को इस कांड के वादी थाना पर उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दियें जिसका अवलोकन कर कांड दैनिकी में अंकित किया। दिनांक 24.02.2024 वादी का पुनः बयान, साक्षी मनेन्द्र कुमार पासवान का बयान लिया एवं कांड दैनिकी में अंकित किया। दिनांक 27.02.2024 को पोस्टमोर्टम रिपोर्ट प्राप्त कर कांड दैनिकी में अंकित किया। इस कांड के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त गोर्वधन यादव के संबंध में अपराधिक इतिहास का पता कर कांड दैनिकी में अंकित किया। दिनांक 28.03.2024 को दुर्घटना कारित वाहन बोलेरो पिकअप जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर–WB11F3724 को जब्त

कर जब्ती सूची तैयार किया व कांड दैनिकी में अंकित किया। यह वहीं जब्ती सूची है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हुं साक्षी के पहचान पर इसे **प्रदर्श–पी0–06/पी0डब्लु0–11** अंकित किया जाता है। दिनांक 28.03.2024 को ही वाहन मालिक का बयान लिया कांड दैनिकी में अंकित किया। प्रस्तुती सह जब्ती सूची के साक्षी बिरेन्द्र सिंह का बयान लिया कांड दैनिकी में अंकित किया। दिनांक 30.03.2024 को अनुमंडल पुलिस पदा0 का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त कर कांड दैनिकी में अंकित किया। दिनांक 30.03.2024 को ही साक्षी गोरख राम, शैलेन्द्र कुमार राम, रंजन पासवान, जितेन्द्र पासवान, रवि कुमार पासवान का बयान लिया कांड दैनिकी में अंकित किया। दिनांक 11. 04.2024 को अनुमंडल पुलिस पदा0, डुमरांव का अंतिम प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त कर कांड दैनिकी में अंकित किया। उक्त निर्देश के आलोक में अभियुक्त गोर्वधन यादव, अर्न्तगत धारा 279, 304ए, 504, 506 भा0द0वि0 एवं 3(1)(त)(s) 3 (2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अर्न्तगत आरोप पत्र सं0 83/2024 दिनांक 11.04.2024 समर्पित किया। डुमरांव थाना कांड सं0 57/2024 का यह औपचारिक प्राथमिकी कम्प्युटराईज्ड टंकित हैं जिसपर तत्कालीन थानाध्यक्ष अनिशा राणा का लद्यु हस्ताक्षर है मैं उनकी लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हुं साक्षी के पहचान पर इसे **प्रदर्श–पी0–07/पी0डब्लु0–11** अंकित किया जाता है। इस कांड के आरोप पत्र सं0 83/2024 दिनांक 11.04.2024 जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हुं साक्षी के पहचान पर इसे **प्रदर्श–पी0–08/पी0डब्लु0–11** अंकित किया जाता है।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि इस केस के सूचक घटना को अपनी आंखों से देखने की बात लिखित आवेदन या पुनः बयान में नहीं कहें हैं। इस घटना के साक्षी सोनू व रूपेश ने घटना को अपनी आंख से देखने की बात बतायें है इनके अलावा किसी अन्य ने घटना को अपनी आंख से देखने वाली बात नहीं बतायें हैं। किसी भी साक्षी ने अपने बयान में घटना के संबंध में जानकारी की बात किस बच्चें से हुई उसका नाम नहीं बताया है। घटनास्थल से पिकअप गाड़ी जब्त नही हुई है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की मूल प्रति कहॉ है इसके संबंध में मैंने अपने डायरी में उल्लेख नहीं किया है। जब्त गाड़ी का आन्तिरक जांच रिपोर्ट अभिलेख में नहीं है तथा वह प्राप्त भी नहीं हुआ है। यह कहना गलत हैं कि वरीय पदाधिकारी के आदेशनुसार मैंने आरोप पत्र समर्पित किया हो।

23. अभियोजन साक्षी सं0–12 डा0 अनिल कुमार सिंह है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि "On dated 23-02-2024 he was posted as M.O. in Sadar hospital Buxar. On that day at about 03:10 P.M. postmortem was done on the dead body of Chitranjan Kumar Hindu Male 15 Years approx s/o Satish Kumar Paswan, R/O-Vill. Ataw, P.S. Dumraon, Distt. Buxar produced and identified by 7/5 Ramesh Singh Yadav and got the following findings:- Rigor mortis present in four limbs.

External Examination:-

Average build

Injury no. 1- Abrasion on left side of forehead 5" x 2"

Injury no. 2- Lacerated wound below right eye lower limb, size 1/1.5” x ½” x skin deep approximately on cheek.

Injury no. 3- Abrasion on left side of chest 3” x 2”.

Injury no. 4- Fracture of right thigh bone.

Internal examination:-

Brain and meninges- Pale, lungs- pale, heart-empty, liver+spleen+kidney-All pale, Stomach-Empty, Urinary bladder- Empty.

Cause of death- hemorrhage and shock due to above mention anti mortem wound caused by hard and heavy blunt object. (R.T.A)

Time of Death- Within 6 to 24 hour’s.

This P.M. Report is in my pen and it bears my signature, mark it **Ext-P-9/PW-12**.

Cross by Defence Counsel

जख्म सं0 01 से 03 हार्ड ब्लन्ट या गिरने से हो सकता है। जख्म सं0 4 भी गिरने से हो सकता है। heavy blunt object (R.T.A) पुलिस के द्वारा इन्क्वेस्ट के आधार पर लिखा है। जख्म सं0 01 से 04 तक एक ही बार कारित किया गया है। जख्मीं के शरीर का पहचान मार्क पी0एम0 रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है लेकिन यह लिखना चाहिए। पी0एम0 रिपोर्ट में As per inquest लिखा हुआ है।

24. **अभियोजन साक्षी सं0–13** भोला चौधरी है। अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि नवम्बर 2025 में मैं सेवानिवृत हो चुका हुॅं। घटना कब की है याद नहीं है। मैं जब स्कूल गया तो पता चला कि घटना घटित हुई है लेकिन कैसे हुई यह पता नहीं चला। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। विद्वान अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उन्हें जिरह का अवसर प्रदान किया गया। ऐसी बात नही है कि विद्यालय के इन्चार्ज का मोबाइल नं0–6203436527 से साक्षी का बयान दर्ज किया गया चूंकि साक्षी के पास मोबाइल नहीं रहता है, मैं जब 09.00 बजे विद्यालय पहुॅंचा तो घटना घट चुकी थी।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि मैंने घटना अपनी आंखों से नहीं देखा है। इस घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं इस केस में गवाह हुॅं इसलिए गवाही देने आया हुॅं।

साक्ष्य का विवेचन एवं न्यायालय के निष्कर्षः

अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के पश्चात् अवधारण के बिंदुओं पर इस न्यायालय के निष्कर्ष इस प्रकार हैंः–

अवधारण बिंदु संख्या (ए) एवं (बी)

25. अवधारण के उपरोक्त दोनों बिंदु एक–दूसरे से सह–संबंधित हैं अतः इन दोनों की विवेचना एक साथ की जायेगी। अवधारण का प्रथम महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या अभियोजन, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सभी प्रकार के संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ? चूॅंकि आपराधिक न्याय प्रशासन का मूलभूत सिद्धांत है कि सिवाय कुछ अपवादजनक परिस्थितियों के जैसा कि विधि द्वारा प्रतिपादित किया गया है, अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन को ही

अपना मामला बिना किसी संदेह के प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर साबित करना होता है और अभियुक्त पर अपनी निर्दोषिता साबित करने का कोई भार नहीं होता है। विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अभियोजन को अपना मामला प्रत्यक्ष या परिस्थितिजनक साक्ष्यों के आधार पर स्वतः ही साबित करना होता है और बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत ना करने या प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की कमजोरी के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जानी चाहिए। कोई भी ऐसा तथ्य एवं साक्ष्य जो अभियोजन के मामले में संदेह पैदा करता है, अभियुक्त उसका फायदा लेने का हकदार होता है।

26. अभियोजन साक्षी सं0–2, 7, 8, 9, एवं 13 ने अभियोजन के मामलें का समर्थन नहीं किया है और इन साक्षियों ने घटना के बारे में अभियोजन के मामले में अपनी–अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है जो इस मामलें मे सुसंगत नही है। इस वाद में अभियोजन साक्षी सं0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के मामलें का समर्थन किया है लेकिन प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह घटना के समय में घटना स्थल पर नहीं था और घटना को अपनी ऑख से बच्चे को कुचलते नहीं देखा था तथा कौन गाड़ी चला रहा था यह भी उसने नहीं देखा। इस साक्षी ने आगे कहा है कि लिखित आवेदन में क्या लिखा है उसे किसी ने पढ़कर भी नहीं सुनाया था। इससे स्पष्ट होता इस साक्षी के साक्ष्य में विरोधाभाष है। साक्षी संख्या–3 ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के मामलें का समर्थन किया है लेकिन प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह घटना के समय में घटना स्थल पर नहीं था और घटना को अपनी ऑख से नहीं देखा । साक्षी संख्या–4 ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के मामलें का समर्थन किया है लेकिन प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के दिन और घटना के समय वह अपने घर पर था और घटना के संबंध में कैसे घटना हुआ किसी भी माध्यम से उसे जानकारी नहीं था। साक्षी संख्या–5 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह घटना के दिन अपने रिश्तेदार मामा के यहॉ था जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह साक्षी केवल अनुश्रुत साक्षी है। साक्षी संख्या साक्षी संख्या–6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह घटना के समय गॉव में काम कर रहा था जिससे स्पष्ट होता है कि यह साक्षी केवल अनुश्रुत साक्षी है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष के प्रतीपरीक्षा में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के बारे में उसे किसी माध्यम से जानकारी नहीं थी और यह साक्षी यह भी नहीं बताया कि पिकअप गाड़ी किसकी थी। साक्षी संख्या–10 इस केस का सूचक है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि वह घटना के समय अपने घर पर था। उसे पता चला कि उच्च विद्यालय अटॉव के मैदान में उसका लड़का का गाड़ी से हत्या हो गया है। जब वह जाकर देखा तो उसका लड़का का मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन इस साक्षी ने बचाव पक्ष के प्रतीपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस गाड़ी से उसके पुत्र को धक्का लगा और गाड़ी का चालक कौन था यह नहीं बता सकता है और जब वह घटना स्थल पर गया तो उसने अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा। उस समय वहॉ पर न तो कोई गाड़ी थी और न ही कोई गाड़ी का चालक था। इस साक्षी ने आगे कहा है कि थाना पर जो आवेदन दिया गया था किसके द्वारा लिखा गया उसे जानकारी नहीं है तथा आवेदन में क्या लिखा था उसकी भी जानकारी नहीं थी। इस साक्षी ने स्पष्ट कहा है कि आज तक उसको यह जानकारी नहीं हुआ कि किसके द्वारा उसके पुत्र को गाड़ी से धक्का लगा और गाड़ी का चालक कौन था। साक्षी संख्या–11 जो इस केस का अनुसंधनकर्ता है।

बचाव पक्ष के प्रतीपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि जो इस केस का सूचक है घटना को अपनी ऑखों से देखने की बात लिखित आवेदन या पुनः बयान में नहीं बताया था। घटना स्थल से पिकअप गाड़ी भी जप्त नहीं किया गया था। अभियोजन साक्षी संख्या–12 जो इस केस में चिकित्सा पदाधिकारी है जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया था। इस साक्षी ने कहा है कि जख्म संख्या–1 और 3 हार्ड बलन्ट या गिरने से हो सकता है। जख्म संख्या 4 भी गिरने से हो कसता है। पत्रावली पर कोई भी विश्वसनीय साक्षी और साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। स्वयं सूचक भी अपने प्राथमिकी के लिये दिये गये आवेदन की अर्न्तवस्तु से मुकर गया है। कोई भी साक्षी यह स्पष्ट नहीं करता है कि घटना किसके द्वारा कारित किया गया था। इस प्रकार से अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभाष है जो अभियोजन के मामलें में संदेह उत्पन्न करता है।

27. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की विवेचना से साबित होता है कि इस वाद में कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे अभियोजन का मामला साबित होता हो। अतः इस मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों एवं विचारण के आधार पर इस न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त द्वारा किसी अन्य अपराध का किया जाना भी साबित नहीं होता है। परिणामतः अवधारण बिंदु संख्या (ए) एवं (बी) का विनिश्चय तद्नुसार किया जाता है।

28. **दोषमुक्ति का आदेश–** परिणामस्वरूप इस वाद के अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–304(A), 279, 504, 506 भा0द0सं0 एवं 3(1)(r)(s), 3(2)(va) एस0सी0 / एस0टी0 अधिनियम से **दोषमुक्त** किया जाता है। इस वाद में अभियुक्त को वीडियो कॉनफ्रेंसिग के माध्यम से कारा से प्रस्तुत किया गया। अतः अभियुक्त एवं उसके प्रतिभूओं को उनके द्वारा दाखिल किये गये जमानतीय बंधपत्रों से मुक्त किया जाता है। कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि वह इस दोषमुक्ति की सूचना जेल अधीक्षक को इस निर्देश के साथ भेंजे कि यदि अभियुक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे अविलंब रिहा करें। कार्यालय को यह भी निर्देश दिया जाता है कि बाद आवश्यक कार्यवाही इस वाद के संपूर्ण अभिलेख को नियमानुसार अविलम्ब अभिलेखाागार में जमा कराया जाए।

लेखापित

Sd/-

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष
न्यायाधीश अन्तर्गत एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट,बक्सर।

यह निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को लिखवाकर एवं शुद्धिकृत करने के उपरांत खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर किया गया।

लेखापित

Sd/-

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष
न्यायाधीश अन्तर्गत एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट, बक्सर।